उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-41/2020/154/92-2-2020-81(जॉच)/2016,

लखनऊ :: दिनांक:: 14 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-मिर्जापुर में आई0ए0पी0 योजनान्तर्गत व पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत निर्मित कराये गये कतिपय सम्पर्क मार्गों/ सी0सी0 रोडों आदि के निर्माण कार्यों की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति में से रू0 10,954.25 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2019/1608/92-2-2019-81जांच/2016, दिनांक 22.07.2019 द्वारा श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड चन्दौली को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के संपादनार्थ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-आजमगढ़ के पत्र संख्या-1277/ग्रा0अ0वि0/च0प्र0/एस0टी0/पत्रा0सं0-42/2019-20, दिनांक 05.12.2019 द्वारा नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना में अपचारी अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय के विरूद्ध अधिरोपित कुल-2 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नहीं पाया गया। अत: अपचारी अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड चन्दौली पर कोई भी आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2019/1608/92-2-2019-81जांच/2016, दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

...2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-41/2020/154(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परि0 आजमगढ़।

3- श्री ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड चन्दौली द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasana esh.up.n .in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।